R.M.M. Law College, Saharsa
Narishji Anand
LL.B Part Ist
Paper – IInd
Constitutional Law

'राज्य' शब्द की परिभाषा अनुच्छेद - 12

अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषा करता है। यह परिभाषा संविधान के अन्य अनुच्छेद में प्रयुक्त 'राज्य' शब्द पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है:-

(1) भारत सरकार एवं संसद,
(2) राज्य सरकार एवं विधान मंडल
(3) सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं
(4) अन्य प्राधिकारी।

स्थानीय प्राधिकारी :- अनुच्छेद - 12 के संदर्भ में 'प्राधिकारी' शब्द का अर्थ है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है और साथ ही साथ प्रवर्तित करने करने की भी शक्ति होती है। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो तो वह 'राज्य' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 'स्थानीय प्राधिकारियों' के अंतर्गत नगरपालिकाएँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत

आदि संस्थाएँ आती हैं। मुहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया कमेटी के मामले में शहर की नगरपालिका ने थोक विक्रेताओं के ऊपर निश्चित दर से बिक्री कर लगाया। नगरपालिका को एक उपविधि के अंतर्गत ऐसा प्राधिकार प्राप्त था। उच्चतम न्यायालय ने नगरपालिका को अनुच्छेद 12 में 'युक्त राज्य' शब्द के अंतर्गत माना और यह निर्णय किया गया कि उसका कर लगाने का आदेश अवैध था क्योंकि वह अनुच्छेद 19(1)(g) में दिये गये मूल अधिकार का अतिक्रमण करता था।

'अन्य प्राधिकारी'—

अनुच्छेद 12 में कुछ प्राधिकारियों के उल्लेख करने के उपरांत 'अन्य प्राधिकारी' पदावली का प्रयोग किया गया है। प्रारम्भ में कई उच्च न्यायालयों ने इसकी बड़ी संकुचित व्याख्या की और यह मत व्यक्त किया कि 'अन्य पदाधिकारी' पदावली में उपर्युक्त वर्णित प्राधिकारियों की तरह के अन्य प्राधिकारी सम्मिलित हैं। यूनिवर्सिटी आफ मद्रास बनाम शांता बाई के मामले में उक्त निर्वचन के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 'अन्य पदाधिकारी' पदावली में केवल वे पदाधिकारी शामिल किये जा सकते हैं जो शासकीय या प्रभुतासम्पन्न शक्ति का प्रयोग करते हैं।

अपने आधुनिकतम निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने सुखदेव सिंह के मामले में न्यायाधिपति श्री मैथ्यू द्वारा प्रतिपादित विस्तृत कसौटी को मान्यता दी है और 'अन्य प्राधिकारी' शब्दावली के क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया है। राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद-12 में प्रयुक्त 'अन्य प्राधिकारी' शब्दावली के क्षेत्र को विस्तृत करना उचित ही है; क्योंकि अब राज्य मानव जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर गया है और ऐसे अभिकरणों के माध्यम से कार्य कर रहा है जो न तो संविधान और न ही किसी अधिनियम द्वारा सीधे स्थापित किये जाते हैं।

इस बात के निर्धारण के लिए कि क्या कोई निकाय राज्य का अभिकर्ता अथवा अभिकरण है, उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कसौटियाँ प्रतिपादित की हैं:-

(1) निकाय का वित्तीय स्रोत क्या है, अर्थात निगम की सम्पूर्ण पूँजी राज्य धारित किया है?

(2) क्या राज्य का निकाय पर व्यापक नियंत्रण है?

(3) क्या कार्यों की प्रकृति सार्वजनिक महत्व की है और अभिन्न रूप से राज्य से सम्बद्ध है?

(4) क्या कोई राजकीय विभाग निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है?

(5) क्या निगम को एकाधिकार की स्थिति प्राप्त है जो राज्य प्रदत्त और राज्य-संरक्षित है?

किन्तु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त कसौटियाँ केवल दृष्टांत के लिए हैं, वे ही एक मात्र कसौटियाँ नहीं हैं।